



कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : F.7()PLAN/MISC/2025-26/ 427 से 437

दिनांक : 07/07/2025

बैठक कार्यवाही विवरण

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक NO. F.17(3) UDH/Rules/2022 दिनांक 28-09-23 द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण के गठन किये जाने के क्रम में, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक उ.वि.प्रा./संस्थापन/2023/5015 दिनांक : 07-11-2023 द्वारा जारी कार्यालय आदेश से गठित ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 03-07-2025 को मध्याह्न: पश्चात् 03-00 बजे श्रीमान् आयुक्त महोदय, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर की अध्यक्षता में सभा कक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें निम्न अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित हुए:-

1. श्री राहुल जैन, आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
2. श्री हेमेश नागर, सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
3. श्री जितेन्द्र ओझा, जोन उपायुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
4. श्रीमती बिन्दुबाला राजावत, जोन उपायुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
5. श्री संजीव शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
6. श्री अनुपम शर्मा, निदेशक (आयोजना), उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
7. श्री सर्वेश्वर एस. व्यास, उप नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
8. श्रीमती निशा गोस्वामी, सहायक नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
9. सुश्री निकिता शर्मा, सहायक नगर नियोजक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
10. श्री भजन सिंह, नगर नियोजन सहायक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
11. श्री प्रमोद पटेल, नगर नियोजन सहायक, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
12. श्री यशदीप आमेठा, वरिष्ठ प्रारूपकार, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।

उक्त बैठक में संलग्न सूची अनुसार प्रकरणों में विचार विमर्श बाद निम्न शर्तों के साथ निर्णय लिये गये:-

- भूमि के अवाप्ति, स्वामित्व, किस्म, राजस्व सीमा, विधिक जांच, मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल बाबत जांच सक्षम स्तर से करने तथा खसरा सीमाओं का सीमांकन एवं प्रमाणीकरण सक्षम स्तर से सुनिश्चित करते हुये ही कार्यवाही की जावे।
- राजस्व रिकार्ड व स्वीकृत प्लान के अनुसार डिमार्केशन के पश्चात मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल का ही पट्टा जारी किया जावे।
- मौके पर या रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार तालाब/नाले, बहाव क्षेत्र, डूब क्षेत्र, कुआं, अन्य जलाशय रास्ते एवं अन्य प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने की स्थिति में संपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जावे।
- आवेदित भूमि पर अनाधिकृत निर्माण हो तो इसे नियमानुसार ध्वस्त किये जाने के पश्चात ही नियमन किया जावे।

- आवेदित खसरा भूमि के संपरिवर्तन की कोई कार्यवाही पूर्व में नहीं की गई हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
- यह सुनिश्चित किया जावे कि आवेदित खसरा भूमि नगर निगम/आवासन मण्डल या किसी अन्य योजना का भाग नहीं हो।
- प्रस्तावित भूखण्ड के ऊपर से यदि कोई विद्युत लाईन गुजर रही हो तो ऐसे भूखण्डों पर भारतीय विद्युत नियम, 1956 व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों के अनुसार सुरक्षात्मक दूरी रखते हुए कार्यवाही की जावे एवं इसके नियम 79 व 80 के अन्तर्गत प्रभावित भूमि अथवा भूखण्ड का संपरिवर्तन नहीं किया जावे।
- राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं उनके क्रम में जारी सभी आदेशों/परिपत्रों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- एकल पट्टा होने से भविष्य में उपविभाजन राजस्थान टाउनशिप पालिसी व राजस्थान नगरीय क्षेत्र (उप विभाजन, संयुक्तिकरण व भूखण्ड सुधार) नियम, 1975 में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार किया जायेगा।
- राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी आथोरिटी (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स-2017 की पालना में रेरा में रजिस्ट्रेशन की पालना सक्षम स्तर पर सुनिश्चित करावे।
- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हिल पालिसी के क्रम में जारी आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।
- राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/ परिपत्रों/निर्देशों/नियमों आदि की पालना सुनिश्चित करवाते हुए यह भी सुनिश्चित करावे कि माननीय न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना नहीं हो।

उप नगर नियोजक (सदस्य सचिव)
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्रमांक : F.7()PLAN/MISC/2025-26/427 & 437

दिनांक : 07/07/2025

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
2. श्रीमान् सचिव महोदय, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
3. श्रीमान् जोन उपायुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
5. श्रीमान् विशेषाधिकारी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
6. श्रीमान् भूमि अवाप्ति अधिकारी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
7. श्रीमान् निदेशक (आयोजना), उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ), उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
9. तहसीलदार, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
10. ड्राइंग शाखा, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
11. नियमन शाखा, (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।

उप नगर नियोजक (सदस्य सचिव)
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर



कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 03/07/25 का कार्यवाही विवरण

प्रकरण संख्या : 528/2

1	आवेदक का नाम/ आई डी नं०	श्री बाबुलाल पिता श्री रुपलाल 103353		
2	खसरा नं० व ग्राम का नाम	3436/1, 3437, 3438/1, राजस्व ग्राम टिकली		
3	कुल क्षेत्रफल	0.2400 हैक्टर (2400.00 वर्गमीटर)		
4	पहुंच मार्ग एवं मौका रिपोर्ट	आवेदित भूमि के समीप स्थित अनुमोदित प्लान से प्रस्तावित 60 फीट सड़क से मार्गाधिकार उपलब्ध है।		
5	उदयपुर संशोधित मास्टर प्लान 2031/जोनल डवलपमेन्ट प्लान में भू-उपयोग	आवेदित आराजी का भू-उपयोग संशोधित मास्टर प्लान-2031 अनुसार उत्तरी भाग आवासीय एवं शेप दक्षिणी भाग जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार मिश्रित है। आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है।		
6	आवेदित उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों		
7	प्रस्तुत ले-आउट प्लान अनुसार क्षेत्रफल विश्लेषण।			
आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों का क्षेत्रफल		सड़क का क्षेत्रफल	आरक्षित भूमि का क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल
15,490.00 वर्गफीट 59.98 प्रतिशत		7,484.00 वर्गफीट 28.98 प्रतिशत	2,850.00 वर्गफीट 11.04 प्रतिशत	25,824.00 वर्गफीट 100.00 प्रतिशत
8	स्वामित्व रिपोर्ट	आवेदित भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ 90-क आदेश दिनांक 25-12-2024 को जारी हैं।		
Online Reports :				
9	नगर नियोजन सहायक / वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट	आवेदित आराजी का भू-उपयोग संशोधित मास्टर प्लान-2031 अनुसार उत्तरी भाग आवासीय एवं शेप दक्षिणी भाग जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार मिश्रित है। आवेदक द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है।		
10	राजस्व निरीक्षक / कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट	आवेदित भूमि के समीप स्थित अनुमोदित प्लान से प्रस्तावित 60 फीट सड़क से मार्गाधिकार उपलब्ध है।		
11	विधि-अधिकारी की रिपोर्ट	वाद विवाद होना नहीं पाया जाता है।		
12	भू-अवाप्ति अधिकारी की रिपोर्ट	न्यास/प्राधिकरण की अवाप्ति में नहीं है।		



13	ILR/ पटवारी की रिपोर्ट	आवेदित भूमि अर्जन/न्यायालय प्रकरण/विवाद/मंदिर माफी/निबंधन क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। भूमि किसी निबंधन क्षेत्र/लो लाइन एरिया/नाला/तालाब/नदी इत्यादि से प्रभावित नहीं है।
14	तहसीलदार, प्राधिकरण की रिपोर्ट	आवेदित भूमि अर्जन/न्यायालय प्रकरण/विवाद/मंदिर माफी/निबंधन क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। भूमि किसी निबंधन क्षेत्र/लो लाइन एरिया/नाला/तालाब/नदी इत्यादि से प्रभावित नहीं है।
15	तहसीलदार, बडगांव की रिपोर्ट	आवेदित भूमि अर्जन/न्यायालय प्रकरण/विवाद/मंदिर माफी/निबंधन क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। भूमि किसी निबंधन क्षेत्र/लो लाइन एरिया/नाला/तालाब/नदी इत्यादि से प्रभावित नहीं है तथा भूमि के गैर कृषिक प्रयोजन हेतु अनुज्ञा प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। (1) मौके पर पहुंच मार्ग है। (2) पहुंच मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अधिसूचित सेना क्षेत्र से लगभग 1400 मीटर की दूरी पर स्थित है।
16	अन्य बिन्दु	(1) आवेदित भूमि की उत्तर दिशा में जोनल डवलपमेन्ट प्लान की 18 मीटर (60 फीट) चौड़ी सड़क प्रस्तावित है जिनकी मौके पर सुनिश्चितता की जानी होगी एवं अन्य सड़कों का मार्गाधिकार प्रस्तावित 60 एवं 30 फीट रखा जाना अपेक्षित है। (2) टाउनशिप पालिसी-2010 की पालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। (3) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पालिसी-2010 के अनुसार तस्खमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तस्खमीनो का प्राधिकरण की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन तदनुसार विकास कार्य करने होंगे। (4) भूखण्ड/भूखण्डों का डिमार्केशन, क्षेत्रफल आदि की गणना मौके से की जानी अपेक्षित है। (5) अनुमोदित प्लान में दर्शित प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार आपसी लिंक/एलाईनमेन्ट का भौतिक रूप से सत्यापन मौके से किया जाना अपेक्षित है।

वरिष्ठ प्रारूपकार / नगर नियोजन सहायक

निर्णय : प्रस्तावानुसार समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्ति किए जाने की शर्त पर संलग्न सामान्य शर्तों के दृष्टिगत, तकनीकी रूप से आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों का ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(सर्वेश्वर एस. व्यास)
उप नगर नियोजक

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

(जितेन्द्र ओझा)
उपायुक्त

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

(निशा गोस्वामी)

सहायक नगर नियोजक

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

(संजीव शर्मा)

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

(अनुपम शर्मा)
निदेशक (आयोजना)

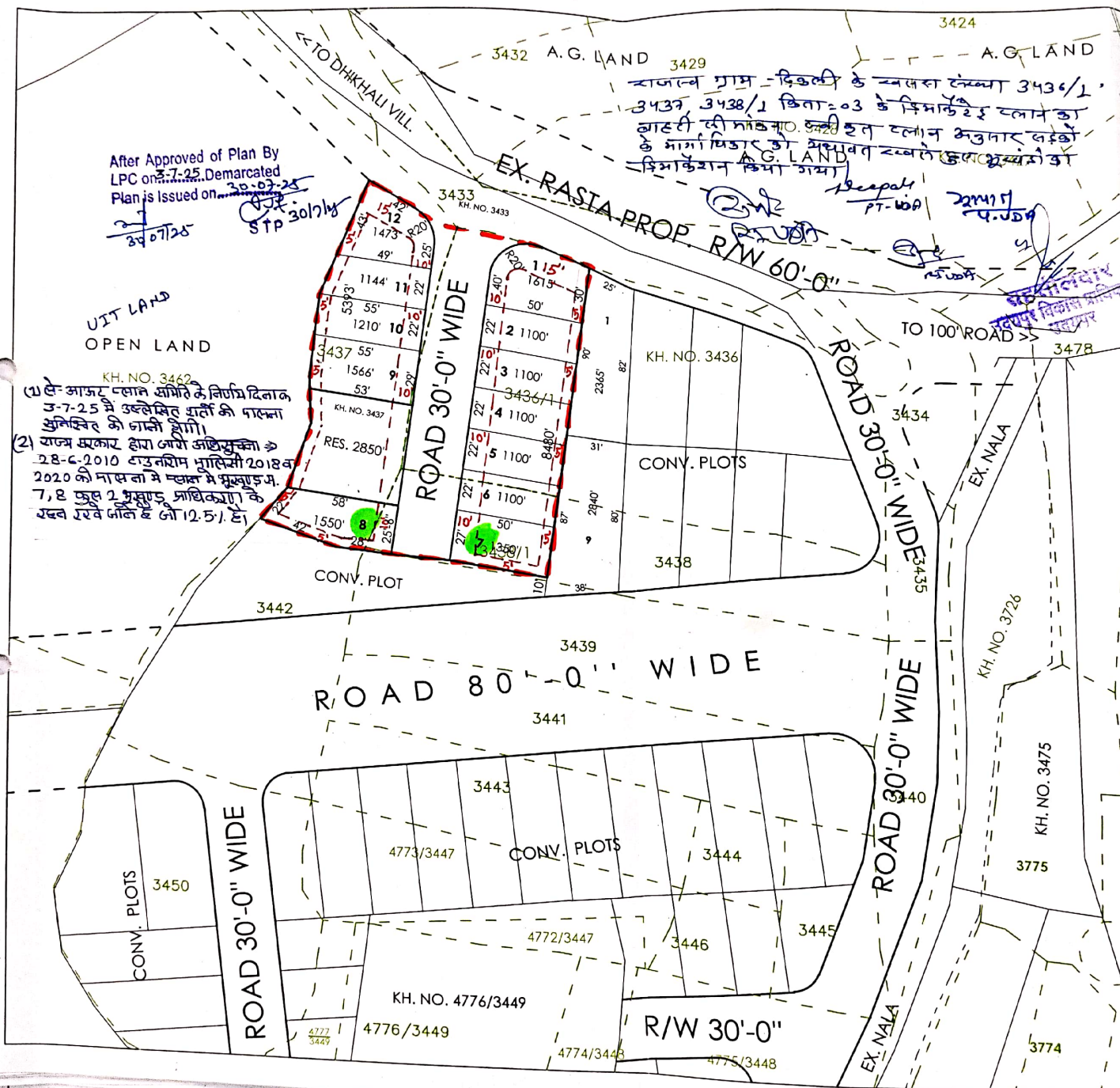
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

(हेमेश नागर)
सचिव

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

(रिहल जैन)
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर



After Approved of Plan By
LPC on 3-7-25 Demarcated
Plan is Issued on 30-07-25
STP 30/7/25

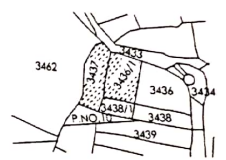
- KH. NO. 3462
- (1) ले-आऊट प्लान अंगीकृत दिनांक 3-7-25 में उपलब्धित शर्तों की गारंटी अनिवार्य की जाती होगी।
 - (2) राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 28-6-2010 एंड नॉटिफिकेशन 2018 व 2020 की मासना में प्लान में सुधार 7, 8 कुल 2 सुधार अधिकारी के खर्च पर करवाए जाते हैं जो 12.5% है।

राजस्व ग्राम - धिकली के खसरा खंख्या 3436/1
3437, 3438/1 बिता-03 के डिमांडेड प्लान का
गारंटी की मांग 0.9428 इन प्लान अनुसार लैंड
के मांग पिछाड़ को अभावित रखते हुए भूखंडों को
डिमांडेशन किया गया।



SCALE :- 1" = 50 FT.

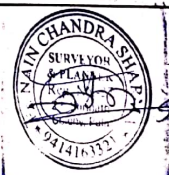
DEMARCATED LAY-OUT PLAN
OF PLOTS IN KH. NO.
3436/1, 3437, 3438/1
REV. VILL. DHIKHLI
TEH. BADGAON, UDAIPUR



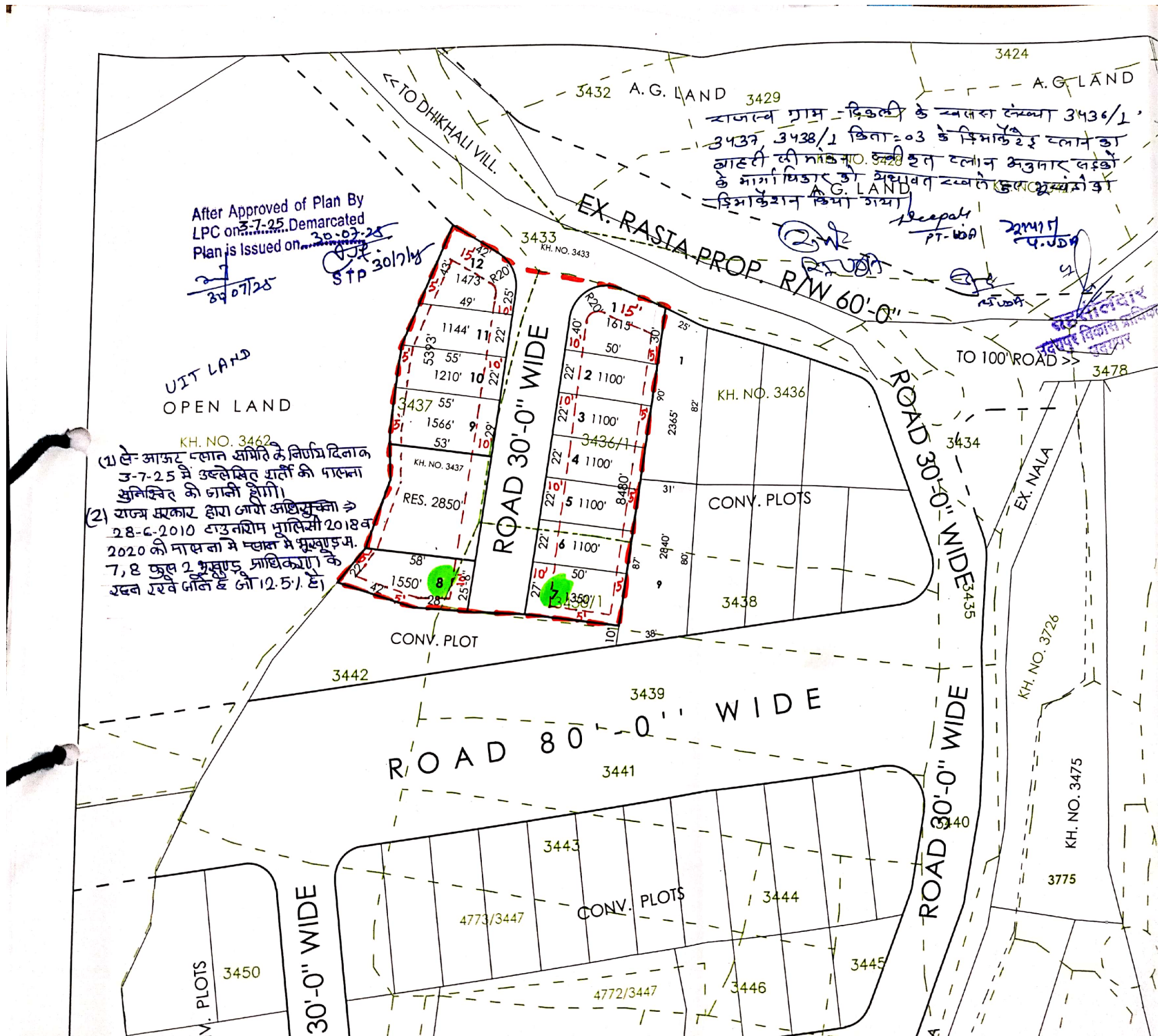
KHASRA PLAN SCALE : 1:4000

INDEX :-

TOTAL LAND	=	25824.00 SQ.FT. (0.2400 HEC.)
PLOT AREA	=	15408 (15423) 00 SQ.FT. (59.72%)
RES. AREA	=	2850.00 SQ.FT. (11.04%)
ROAD AREA	=	7566 (7551) 00 SQ.FT. (29.24%)
TOTAL AREA	=	25824.00 SQ.FT. (100.00%)



SIGNATURE OF OWNER



After Approved of Plan By
LPC on 3-7-25 Demarcated
Plan is Issued on 30-07-25

- (1) ले-आऊट प्लान अधिनियम के निर्णय दिनांक 3-7-25 से उद्घोषित शर्तों की पूर्णता सुनिश्चित की जाती होगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 28-6-2010 एडमिनिस्ट्रेशन भूमि अधिनियम 2018 के मासिक में प्लान में सुधार 7, 8 कुल 2 सुधार अधिनियम के रख रखाव जल है जो 12.5 है।

राजस्व ग्राम - डिहली के नक्का 3436/1, 3437, 3438/1 बिना 03 के डिमांड नुमांदा का बाहरी सीमांकन 0. 3438 इत प्लान अनुसार लॉको के मासिक डिमांड को अभावतः रख रखाव नुमांदा डिमांडेशन किया गया।

KH. NO. 3475

KH. NO. 3726

TO 100' ROAD >>>

ROAD 30'-0" WIDE

ROAD 80'-0" WIDE

ROAD 30'-0" WIDE

ROAD 30'-0" WIDE

EX. RASTA PROP. R/W 60'-0"

UIT LAND
OPEN LAND

KH. NO. 3462

CONV. PLOT

CONV. PLOTS

CONV. PLOTS

CONV. PLOTS

4773/3447

4772/3447

3445

3446

3775

3439

3442

3441

3443

3444

3450

3433
KH. NO. 3433

KH. NO. 3436

3438

3424

3432 A.G. LAND

3429

A.G. LAND

STP 30/7/25

20/7/25

PT. WDA

20/7/25

राजस्व विभाग प्रमुख
राजस्व विभाग
राजस्व विभाग